(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2698–दो/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 04.08.2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 03/अपील/2013–14

श्रीमती निर्मलासिंह पुत्री स्व0 सुन्दर सिंह,
निवासी हरपालपुर तह0 नौगांव जिला छतरपुर .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. श्रीमती सीमा सिंह बेवा चन्द्रप्रकाश सिंह
2. विश्वास सिंह नाबालिग पुत्र सव0 चन्द्रप्रकाश सिंह
3. तृप्ति नाबालिग पुत्री स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह
   संरक्षक मां सीमा सिंह
4. पूनम सिंह बेवा देवदास सिंह
5. प्रियंका सिंह नाबालिग पुत्री देवदास सिंह
   संरक्षक पूनम सिंह
6. कु0 अंशुसिंह पुत्री स्व0 देवदास सिंह
   समस्त निवासीगण हरपालपुर, तह0 नौगांव
   जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

1. किरेन पुत्री स्व0 सुन्दर सिंह
2. घासीराम पुत्र मूलचन्द्र विश्वकर्मा,
   निवासीगण हरपालपुर, तह0 नौगांव
   जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**तरतीवी अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश शर्मा एवं श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन

आदेश

(आज दिनांक 8/3/18 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 03/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार नौगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2013 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04.08.2015 द्वारा स्वीकार कर अंशु सिंह को उत्तरवादी के रूप में योजित करने के आदेश दिए। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। इस प्रकरण में दिनांक 03.11.2016 को आदेश पारित करते हुए तत्कालीन सदस्य द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त की गई है, इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका कमांक 7930/2016 पेश की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2017 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण आवेदक द्वारा अपील में उठाए गए बिंदु के निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों को सुना गया।

3/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिये गये हैं कि विचारण न्यायालय के बंटवारा आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण ने अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 68वें दिन समयावधि बाह्य पेश की जिसमें अनावेदकगण द्वारा उक्त आदेश सहमति के आधार पर पारित नहीं किया गया है या आदेश सहमति पर आधारित नहीं है आपेक्षित नहीं किया, बल्कि अन्य आधारों पर जैसे कि– 'कुछ भूमि पूर्व में विक्रय की जा चुकी है, गलत फर्द पर आदेश किया, पटवारी से दुरसंधि कर फर्द करायी गयी, मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई' आदि आधार

वर्णित किये हैं । अपील में कहीं भी तहसील के आदेश जो कि सहमति के आधार पर पारित था को सहमति नहीं दी ऐसा कोई आधार नहीं लिया।

यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की अपील की पोषणीयता के संबंध में तीन प्रमुख आपत्तियां थी, जिनमें से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिर्फ दो आपत्तियों अर्थात समय बाह्यता व अंशु सिंह की नाबालगी पर निष्कर्ष देते हुए अपील को पोषणीय माना गया है जबकि तीसरी सर्वोच्च आपत्ति कि सहमति से पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, पर न तो विचार किया गया एवं ना ही निष्कर्ष दिया गया एवं उसे दरकिनार कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश नॉन स्पीकिंग ऑर्डर (सहमति आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में) होकर निरस्त किए जाने योग्य है। यह कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर नॉन एक्ट होकर विधि शून्य होते हैं, एवं आदेशों का विधि में कोई स्थान नहीं होता तथा वे निरस्तनीय होते हैं।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अपील की प्रचलनशीलता कानूनी प्रश्न है तथा य कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि विधिक प्रश्न अथवा आपत्ति प्रकरण के किसी भी प्रक्रम पर उठाई जा सकती है तथा यदि प्रकरण में यह विद्यमान है तो यदि यह पक्षकारों द्वारा उठाई भी नहीं जा सकती है तो भी न्यायालय का यह कर्तव्य है कि उस पर विचार कर उसका निराकरण करें। वर्तमान प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह स्पष्ट आपत्ति भी ली गई थी कि सहमति के आदेश के विरुद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है, किंतु अपीलीय न्यायालय ने इस विधिक आपत्ति का निराकरण न करते हुए अपील को पोषणीय मानने में गंभीर भूल की गई है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि तहसीलदार का प्रश्नाधीन बटांकन आदेश धोखाधड़ी पूर्वक अथवा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत सहमति लेकर पारित किया गया है। यह स्पष्ट विधिक सिद्धांत है कि पक्षकारों के मध्य कोई भी अंतिम न्यायिक आदेश पक्षकारों

पर प्रांड्ग न्याय के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत बंधनकारी है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत (2005) 6 एसएससी 614, ए.आई. आर. 1976 एससी 744, 2007 आर.एन. 359, 2014 आर.एन. 220 एवं 2016 आर0एन0 43 का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलंब से प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया था । अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अपील को समयसीमा में मान्य करते हुए आवेदक की प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं है । गुणदोषों पर प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत सभी आपत्तियों पर विचार न करते हुए केवल समय–सीमा के बिन्दु का निराकरण किया गया है। तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकों के अधिवक्ता द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा में सहमति प्रदान करने के उपरांत बंटवारा आदेश पारित किया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि तहसील का आदेश सहमति से पारित आदेश है। राजस्व मण्डल द्वारा कई न्याय दृष्टांतों में यह निर्धारित किया गया है कि सहमति से पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं थी, किंतु उनके द्वारा उक्त विधिक स्थिति को

अनदेखा करते हुए अपील को प्रचलन योग्य मानने में न्यायिक त्रुटि की गई है। इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2015 निरस्त करते हुए उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर